कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

परिपत्र

क्रमांक 04 /परिपत्र/ देवास, दि0–05/09/2024

कार्यालय परिपत्र क्रमांक 07/परिपत्र/2021 दिनांक 08.03.2021 के द्वारा जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ साक्ष्य लेखकों को निर्देशित किया गया था,कि प्रतिलिपि आवेदन के माध्यम से चाहे गये प्रपत्रों(चालान को छोडकर) की प्रतिलिपि न्यायालय में उपलब्ध फोटोकापी मशीन पर साक्ष्य लेखक द्वारा तैयार कर अपने हस्ताक्षर सहित प्रतिलिपि अनुभाग को प्रेषित करेगें।

यह देखने में आ रहा है कि इस स्थापना पर पदस्थ साक्ष्य लेखकों द्वारा उपरौक्त परिपत्र में अंकित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। परिपत्र दिनांक–08.03.2021 की छायाप्रति अवलोकनार्थ इस परिपत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त साक्ष्य लेखकों को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र क्रमांक–07 दिनांक–08.03.2021 का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि न्यायालयों में कार्य की अधिकता, या अन्य किसी कारण से (पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर)संबधित न्यायालय के साक्ष्य लेखक द्वारा प्रतिलिपि तैयार न कर पाने की दशा में जिला मुख्यालय पर कार्यरत प्रधान प्रतिलिपिकार एवं तहसील न्यायालय में कार्यरत सहायक प्रतिलिपिकार द्वारा प्रतिलिपि अनुभाग में उपलब्ध फोटोकापी मशीन से प्रतिलिपि तैयार की जा सकेगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रतिलिपि अनुभाग में कार्यरत प्रधान/सहायक प्रतिलिपिकार द्वारा फोटोकापी किये जाने से इंकार नहीं किया जायेगा एवं प्रतिलिपि निर्धारित समयसीमा में प्रदान की जावेगी।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों का सभी संबधित द्वारा कड़ाई से पालन किया जावे। परिपत्र में दिये गयें निर्देशों का पालन न करने की दशा में संबधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगीं।

संलग्नः–परिपत्र दिनांक–08.03.2021 की प्रति।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 3703 /परिपत्र/ देवास, दि0–05/09/2024

प्रतिलिपि :–

01. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास
02. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला स्थापना देवास
03. प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि अनुभाग, जिला स्थापना देवास(समस्त)
04. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, देवास/सोनकच्छ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद एवं खातेगावं की ओर सूचनार्थ एवं समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण के मध्य परिचालनार्थ प्रेषित ।
05. समस्त अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, जिला स्थापना देवास.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास मध्यप्रदेश

कार्यालय :— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास म0प्र0

// परिपत्र //

क्रमांक 07/परिपत्र/2021 देवास, दिनांक 08.03.2021

कार्यालय परिपत्र क्रमांक 06 दिनांक 04.03.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों में पदस्थ साक्ष्य लेखक को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिलिपि आवेदन के माध्यम से चाहे गये प्रपत्रों (चालान को छोड़कर) की प्रतिलिपि न्यायालय में उपलब्ध फोटोकॉपी मशीन पर साक्ष्य लेखक द्वारा तैयार कर अपने हस्ताक्षर सहित प्रतिलिपि अनुभाग को भेजेंगे। चालान की प्रतिलिपि के संबंध में ही फाईल प्रतिलिपि अनुभाग को साक्ष्य लेखक के साथ प्रेषित किया जावे। साक्ष्य लेखक प्रतिलिपि अनुभाग में ही उसकी प्रतिलिपि तैयार कर रिकार्ड अपने साथ वापस न्यायालय में लायेंगे।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

Sd/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक 1961 /परिपत्र नस्ती/2021 देवास, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि :—

01— समस्त न्यायिक अधिकारीगण देवास/सोनकच्छ/बागली/खातेगांव/कन्नौद/टोंकखुर्द की ओर ई—मेल के माध्यम से प्रेषित कर लेख है कि तत्संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यरत साक्ष्य लेखक को अवगत करावें।

02— प्रधान प्रतिलिपिकार, देवास

03— सहायक प्रतिलिपिकार, सोनकच्छ/बागली/खातेगांव/ कन्नौद/टोंकखुर्द की ओर पालनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)